



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
Office of the Auditor General

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन महानिर्देशनालय

Phone: 4258174

4266034

4255707

A.G. Fax : 977-1-4268309

Fax : 977-1-4262798

Post Box : 13328

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal

मिति: २०७५/१२/२९

पत्र संख्या: २०७५/७६

च.नं.

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

श्री प्रमुखज्यू/अध्यक्षज्यू,
नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय,

नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम त्यस कार्यपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोजिम यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोजिम कारवाहीको लागि अनुरोध छ ।

(सुवर्णप्रसाद ढकाल)

नायब महालेखापरीक्षक

महालेखापरीक्षकको सन्देश

नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १० बमोजिम पूर्णस्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ। लेखापरीक्षणको क्रममा ऐनको दफा ४ बमोजिम महालेखापरीक्षकले ती निकायको एक एक गरी वा बीच बीचमा छड्के वा केही प्रतिशतमात्र परीक्षण गर्ने गरी लेखापरीक्षणको तरिका, क्षेत्र र अवधि तोकी लेखापरीक्षण गर्न, त्यसबाट प्राप्त तथ्य दर्शाउन, आलोचना गर्न र आर्थिक विवरणउपर रायसहितको प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ।



टंकमणि शर्मा, दंगाल
महालेखापरीक्षक

यस वर्ष ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७४७ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी देखिएका व्यहोराको सारांश महालेखापरीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत समावेश गरिएको छ। ६ वटा स्थानीय तहको लेखा सेस्ता पेश नभएकाले लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन सकेन। आर्थिक कारोबार, वित्तीय व्यवस्थापन, कार्यक्रम सञ्चालन, कानूनको पालना सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधार र असुल फछ्यौट गर्नुपर्ने विषय समावेश गरी प्रत्येक स्थानीय तहलाई बेग्लाबेग्लै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दिने व्यवस्था मिलाएको छु। लेखापरीक्षणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, लेखापरीक्षण मानदण्ड, निर्देशिकाबमोजिम प्रचलित ऐन, कानून, निर्णय समेतका आधारमा परीक्षण मूल्याङ्कन गरिएको छ। प्रदेश र जिल्ला स्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख, लेखाउत्तरदायी अधिकृत तथा अन्य पदाधिकारीबाट प्राप्त सूचना र सुझावलाई प्रतिवेदन तयार गर्दा ध्यान दिइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को स्थानीयतहको लेखापरीक्षणबाट मूलतः पारित भएका कानूनहरू स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित नभएको, दरबन्दी बमोजिम कर्मचारीको पदपूर्ति नभएको, सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नभएको, प्रदेश कानूनले तोकेभन्दा फरक/विपरीत पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा भुक्तानी गरेको, योजना छनौट, सञ्चालन र भुक्तानीमा समस्या देखिएको, वितरणमुखी र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको, आन्तरिक आय तथा राजस्व सङ्कलन व्यवस्थित नदेखिएको, आन्तरिक आयको तुलनामा अत्यधिक प्रशासनिक खर्च भएको, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित नभएको, वित्तीय जवाफदेहिताको स्तरमा सुधार गर्नुपर्ने जस्ता व्यहोराहरू रहेका छन्।

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) अनुसार महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सकेपछि अलग अलग लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने र ऐनको दफा २०(३) मा स्थानीय तहको प्रचलित कानूनबमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरी छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएका व्यहोरा उपर छलफल गरी टुङ्गो लगाउँदा लेखापरीक्षणको मूल्य मान्यता एवं स्वार्थ बाझिने व्यवहार नहुने आस्वस्ततासँगै स्थानीय तहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको अपेक्षा गर्दछु। यो स्थानीय तहको सम्बन्धमा दोस्रो प्रतिवेदन हो। संघीय प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय तहमा सार्वजनिक स्रोतको समुचित उपयोग गर्दै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका कार्यलाई उत्कृष्ट नमूनाको रूपमा सञ्चालन गर्न अवसर प्राप्त भएको छ। यद्यपी नयाँ संरचनामा भौतिक, वित्तीय तथा जनशक्ति अभाव जस्ता चुनौति र समस्याका कारण अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको देखिँदैन। त्यसैले प्रतिवेदनमा समावेश भएका व्यहोरा र सुझावहरूको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहको शासकीय व्यवस्था सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु।

अन्त्यमा, संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सुझाव दिई सहयोग गर्ने स्थानीय तहका प्रमुख, उप-प्रमुख, लेखाउत्तरदायी अधिकृतहरू लगायत नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै, अहोरात्र खटिई समयमै लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गर्न योगदान गर्ने कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।

(संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन महानिर्देशनालय)

पत्र संख्या:

च.नं

श्री प्रमुखज्यू,
भेरी नगरपालिका,
जाजरकोट ।

मिति: २०७५/१२/१०

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

यस कार्यालयबाट भेरी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को पेश भएका वित्तीय विवरण र सोसँग सम्बन्धित कागजातको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।

वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन पक्षको जिम्मेवारी - आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ तथा प्रचलित कानून तथा अभ्यास अनुरूप लेखा राख्ने र राख्न लगाउने, लेखा विवरण तयार गर्ने गराउने कार्यका साथै आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने तथा प्रस्तुतीकरण गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापन पक्षको रहेको छ ।

लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी - प्रस्तुत वित्तीय विवरणहरु उपर लेखापरीक्षणको आधारमा राय व्यक्त गर्नु लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी हो । लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेको सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड र अन्य मार्गदर्शन तथा अन्य प्रचलित कानूनको आधारमा गरिएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका प्रमाणहरु लेखापरीक्षण राय व्यक्त गर्ने आधार उपलब्ध गराउन पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा कार्यालय विश्वस्त छ ।

कैफियत सहितको लेखापरीक्षण राय व्यक्त गर्ने आधार - कैफियत सहितको लेखापरीक्षण राय व्यक्त गर्ने आधारका रूपमा सञ्चित कोष विवरणमा सारभूत असर पार्ने व्यहोराहरु निम्नानुसार छन् :

१. लेखापरीक्षणबाट रु.८९ लाख ८९ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.४६ लाख ५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.११ लाख ७५ हजार र पेशकी रु.३२ लाख ९ हजार रहेको छ ।
२. आम्दानी तथा खर्चको सेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुन सकेन ।
३. लेखापरीक्षणमा देखिएका व्यहोराहरुका सम्बन्धमा मिति २०७५।५।३१ मा जारी गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिक्रिया सहितका प्रमाण कागजातका आधारमा फछ्यौट भएका दफाहरु हटाई कायम कायम व्यहोराको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पाना १७ (सत्र) यसैसाथ संलग्न छ ।

कैफियत सहितको लेखापरीक्षण राय - कैफियत सहितको लेखापरीक्षण रायले त्यहाँको सञ्चित कोष विवरणमा पर्ने असर र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यहोराहरु बाहेक आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को आर्थिक कारोबार, लेखा तथा प्रतिवेदन आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र नियमावली, २०६४ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा प्रचलित कानूनबमोजिम रहेको छ ।

(सुवर्णप्रसाद ढकाल)

नायव-महालेखापरीक्षक

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

परिचय : स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारीणी र न्यायीक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको संचालन गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने कार्यमा सहकारीता, सह-अस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु नगरपालिकाको उद्देश्य रहेको छ । यस नगरपालिका अर्न्तगत १३ वडा ६८ जना नगरसभा सदस्य, २१९.७७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल तथा ३३५१५ जनसंख्या रहेको छ ।

स्थानीय संचित कोष: आर्थिक वर्ष २०७४/७५ स्थानीय सञ्चित कोष आय-व्यय हिसाबको संक्षिप्त अवस्था निम्न बमोजिम रहेको छ :

| सि.नं. | आयतर्फ | | | सि.नं. | व्ययतर्फ | | |
|--------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|---------------------------|--------------|--------------|
| | विवरण | रकम | रकम | | विवरण | रकम | रकम |
| १ | गत वर्षको जिम्मेवारी | | २६४८८०४५.३३ | १ | चालु खर्च | २७४९५९००३.६४ | २७४९५९००३.६४ |
| | क) नगद | | | २ | पूँजीगत खर्च | २२०७९६४३९.८३ | २२०७९६४३९.८३ |
| | ख) बैंक | २६४८८०४५.३३ | | ३ | वित्तीय व्यवस्था भुक्तानी | | |
| २ | राजस्व (आन्तरिक आय) | | ८१६४५७०.२९ | | क) ऋण भुक्तानी | | |
| | क) आन्तरिक राजस्व | ५२२७२७०.२९ | | | ख) ब्याज भुक्तानी | | |
| | ख) राजस्व बाँडफाँड | २९३७३००.०० | | | ग) अन्य भुक्तानी | | |
| | ग) अन्य आय | | | ४ | लगानी | | |
| ३ | वित्तीय हस्तान्तरण | | ५०८२६८०००.०० | | ऋण लगानी | | |
| | क) वित्तीय समानीकरण अनुदान | २५८५६६०००.०० | | | शेयर लगानी | | |
| | ख) सशर्त अनुदान | २४९७०२०००.०० | | | अन्य लगानी | | |
| | ग) समपूरक अनुदान | | | ५ | धरौटी फिर्ता | | |
| | घ) विशेष अनुदान | | | ६ | कोष खर्च | | |
| ४ | प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान | | | ७ | मौज्दात | | |
| | क) वित्तीय समानीकरण अनुदान | | | | क) नगद मौज्दात | | |
| | ख) सशर्त अनुदान | | | | ख) बैंक मौज्दात | ४७२४५९८०.९५ | ४७२४५९८०.९५ |
| | ग) समपूरक अनुदान | | | | | | |
| | घ) विशेष अनुदान | | | | | | |
| ५ | अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप्त | | | | | | |
| ६ | वित्तीय व्यवस्था प्राप्ति | | | | | | |
| | क) ऋण प्राप्ति | | | | | | |
| | ख) साँवा प्राप्ति | | | | | | |
| | ग) ब्याज प्राप्ति | | | | | | |
| | घ) अन्य प्राप्ति | | | | | | |
| ६ | विभिन्न कोषतर्फको आय | | | | | | |
| ८ | जनसहभागिता (नगद) | | | | | | |
| ९ | विषयगत निकायबाट प्राप्त रकम | | | | | | |
| १० | धरौटी आय | | | | | | |
| ११ | लगानीको साँवा फिर्ता | | | | | | |

| सि.नं. | आयतर्फ | | | सि.नं. | व्ययतर्फ | | |
|--------|---------------|--------------|-----|--------|----------|--------------|-----|
| | विवरण | रकम | रकम | | विवरण | रकम | रकम |
| १२ | अन्य विविध आय | | | | | | |
| | जम्मा | ५४२९२०६१५.६२ | | | जम्मा | ५४२९२०६१५.६२ | |

| दफा नं. | व्यहोरा | बेरुजू रकम रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|------------------|-----------------------------|------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|------------|------|--------------|--------------------|----------|----------|-------|---|-----------------|---------------|-----------|-------|---|-----------------------------|----------|----------|------|---|--------------------------------|---------|---------|------|---|---------------------------|--------|--------|------|---|------------------------------------|----------|----------|-------|--|--------------|-----------------------|------------------|-------------|--|
| १. | प्रोदभावी लेखा : स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १९ अनुसार नगरपालिकाको लेखा दोहोरो सेस्ता प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित प्रोदभावी लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले सो अनुसार लेखा राखेको देखिएन । यसरी तयार गरिएका आर्थिक विवरणले वास्तविक आय र खर्चको यथार्थ स्थिति देखाउँदैन भने शीर्षकगत खर्चको स्थिति समेत विश्लेषण गर्न सकिएन । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २. | बजेट पेश गर्ने तथा पारित गर्ने : स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई आषाढ १० गते भित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आय व्ययको अनुमान साथ गत वर्षको वास्तविक आय व्यय, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा हुने आय व्ययको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण सभामा पेश गरी १५ दिन भित्र छलफल सम्पन्न गरी आषाढ भित्र नै पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जस अनुसार उपमेयर श्री भावना भण्डारीले २०७४।०३।३० गते रु.४१,०७,३२,७७५।०० बजेट नगर सभा समक्ष पेश गर्नु भएकोमा सोही दिन नै बजेट पारित भएको तथा २०७४।०४।०१ मा कार्यकारी अधिकृतलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३. | क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति: मिति २०७४।३।२६ मा नगरसभाबाट पारित वित्तीय सामानीकरण तर्फको क्षेत्रगत कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापनको स्थिति देहाय बमोजिम रहेको छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>क्षेत्र</th> <th>बजेट</th> <th>खर्च</th> <th>खर्च प्रतिशत (जम्मा खर्चको)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>आर्थिक विकास</td> <td>२५८०२०००</td> <td>२२८७६६२३</td> <td>९.७०</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>सामाजिक विकास</td> <td>५५३९५८४६</td> <td>५२८७८२५६</td> <td>२२.४३</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>पूर्वाधार विकास</td> <td>११५८१४०० ०</td> <td>१०४२३२४२५</td> <td>४४.२१</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन</td> <td>१९१०००००</td> <td>१६२९५९६०</td> <td>६.९२</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह</td> <td>९११०४६०</td> <td>८८५२६००</td> <td>३.७६</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>वित्तीय व्यवस्थापन सुशासन</td> <td>८७५०००</td> <td>८७५०००</td> <td>०.३८</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक खर्च</td> <td>३२४६८६९४</td> <td>२९७०९९२६</td> <td>१२.६०</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>२५८५६६०० ०</td> <td>२३५७२०७९०</td> <td>१००%</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त विवरण अनुसार कार्यालयले वित्तीय सामानीकरण अन्तर्गत खर्च गरेको रकम मध्ये पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक खर्चमा क्रमशः ४४.२१ प्रतिशत, २२.४३ प्रतिशत र १२.६० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।</p> | क्र.स. | क्षेत्र | बजेट | खर्च | खर्च प्रतिशत (जम्मा खर्चको) | १ | आर्थिक विकास | २५८०२००० | २२८७६६२३ | ९.७० | २ | सामाजिक विकास | ५५३९५८४६ | ५२८७८२५६ | २२.४३ | ३ | पूर्वाधार विकास | ११५८१४०० ० | १०४२३२४२५ | ४४.२१ | ४ | वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन | १९१००००० | १६२९५९६० | ६.९२ | ५ | संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह | ९११०४६० | ८८५२६०० | ३.७६ | ६ | वित्तीय व्यवस्थापन सुशासन | ८७५००० | ८७५००० | ०.३८ | ७ | कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक खर्च | ३२४६८६९४ | २९७०९९२६ | १२.६० | | जम्मा | २५८५६६०० ० | २३५७२०७९० | १००% | |
| क्र.स. | क्षेत्र | बजेट | खर्च | खर्च प्रतिशत (जम्मा खर्चको) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | आर्थिक विकास | २५८०२००० | २२८७६६२३ | ९.७० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | सामाजिक विकास | ५५३९५८४६ | ५२८७८२५६ | २२.४३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | पूर्वाधार विकास | ११५८१४०० ० | १०४२३२४२५ | ४४.२१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन | १९१००००० | १६२९५९६० | ६.९२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह | ९११०४६० | ८८५२६०० | ३.७६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | वित्तीय व्यवस्थापन सुशासन | ८७५००० | ८७५००० | ०.३८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक खर्च | ३२४६८६९४ | २९७०९९२६ | १२.६० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | २५८५६६०० ० | २३५७२०७९० | १००% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४. | अबण्डा रकम : कार्यालयले यस वर्ष रु.१,५६,९०,०००।०० अबण्डा राखेकोमा मिति २०७४।११।०७ को दोश्रो नगरसभाको निर्णय अनुसार कृषि र पशुपन्छी कार्यक्रममा देहाय बमोजिम खर्च गरेको छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>विवरण</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>कृषि क्षेत्र</td> <td>१३५०००००.००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>पशुपन्छी क्षेत्र</td> <td>२१९००००.००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>१५६९००००.००</td> </tr> </tbody> </table> <p>यसरी अबण्डा राखी नगर कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने कार्यले बजेट अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहितामा चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।</p> | क्र.स. | विवरण | रकम | १ | कृषि क्षेत्र | १३५०००००.०० | २ | पशुपन्छी क्षेत्र | २१९००००.०० | | जम्मा | १५६९००००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| क्र.स. | विवरण | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | कृषि क्षेत्र | १३५०००००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | पशुपन्छी क्षेत्र | २१९००००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | १५६९००००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | व्यहोरा | बेरुजू रकम रु. |
|---------|---|----------------|
| ५. | <p>आन्तरिक नियन्त्रण : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमितता र दक्षतापूर्ण ढंगबाट सम्पादन गर्न र वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आ-आफ्नो कामको प्रकृती अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोराहरु देहाय बमोजिम छन् ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● नगरपालिकाले तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गरेको छैन । ● कार्यालयले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अभिलेख अद्यावधिक र विश्वसनीय रूपमा राखेको छैन । ● विगत वर्षको बेरुजू लगत अद्यावधिक गरेको छैन । ● समयोजन भई आएका साविकका गा.वि.स. र विषयगत कार्यालयबाट हस्तान्तरण भई आएका जिन्सीको अवस्था देखिने गरी विवरण तयार गरेको छैन । ● मूल जिन्सी खातामा सबै जिन्सी सामानको आम्दानी नजनाई वडागत रूपमा जिन्सी खाता तयार गरेबाट जिन्सी सामान एकिन गर्न तथा अभिलेख राख्न कठिन हुने देखिएको । ● कतिपय कारोबारहरु मूल्य अभिवृद्धि कर बेगरका फर्मसँग गरेको । ● नगरपालिका क्षेत्र भित्र कोष प्रमाणित तथा भ्रमण प्रतिवेदन बेगर अनुगमन तथा दैनिक भ्रमण भत्ता खर्च लेख्ने गरेको । ● स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि पारिश्रमिकको व्यवस्था भई सकेको अवस्थामा नगरसभा, नगर कार्यपालिका, वडा समिति लगायतका बैठकका लागि भत्ता वापत खर्च लेख्ने गरेको । ● साना योजनाको छनौट र संचालनबाट योजनाको प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि भई मितव्ययीता कायम हुन सक्ने नदेखिएको । ● अधिकतम लाभ र प्रतिफल प्राप्त हुने गरी योजनाको प्राथमिकीकरण र संचालनमा यर्पाप्त ध्यान नदिएको । ● दरबन्दी अनुसार पदपूर्ती नहुँदा सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर परेको । <p>त्यसैले तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाई योजना तथा कार्यक्रम संचालनमा मितव्ययीता अपनाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने तर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।</p> | |
| ६. | <p>सेवा प्रवाह स्थिति : स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारीणी र न्यायीक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको संचालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नगरपालिकाबाट सेवा प्रवाह सम्बन्धमा देखिएका व्यहोराहरु देहाय बमोजिम छन् :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● नगरपालिकाको विकास निर्माण व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका लागि प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीको अभाव रहेको । ● दरबन्दी अनुसार वडा सचिवको पदपूर्ती नहुँदा वडा कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवा समेत निर्वाध रूपमा संचालन हुन नसकेको । ● नक्सा पास सम्बन्धी कार्यको थालनी नभएको । ● विषयगत क्षेत्रमा संचालन हुने कार्यक्रम समेत बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, तालिम, गोष्ठी तर्फ केन्द्रीत भई वितरणमुखी भएको अवस्थामा कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि गर्न कठिन देखिएको । <p>उपरोक्त कारणबाट स्थानीय तहबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाह र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि तथा बैकिङ्ग सेवाको पहुँचका लागि तत्काल सम्बन्धित</p> | |

| दफा नं. | व्यहोरा | बेरुजू रकम रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------|---------------------|----------------|---|---|---------------|-----------------|---|---------------------------|-----|---|-------------|-----|---|-----------------|---|----------|----------|----|---|--------------|-------------------------|--------------|---|-------------|---|----------------------|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|----------|---|---|---|--------------|--|-----------|-----------|----------|--|
| | निकायले ध्यान दिनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७. | <p>सिफारिस तथा घटना दर्ता : यस वर्ष नगरपालिका र अन्तर्गतका वडा कार्यालयबाट सम्पादन भएका सिफारिस तथा घटना दर्ताको स्थिति देहाय बमोजिम छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>विवरण</th> <th>सिफारिस संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>नागरिकता सिफारिस</td> <td>११८९</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>घरबाटो सिफारिस</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>नाता प्रमाणित</td> <td>७७</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>जन्म दर्ता , मृत्यु दर्ता</td> <td>८३६</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>विवाह दर्ता</td> <td>२५७</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>सम्बन्ध विच्छेद</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>बसाइसराई</td> <td>७२</td> </tr> <tr> <td>८</td> <td>अन्य सिफारिस</td> <td>८९६</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">जम्मा</td> <td>३३२७</td> </tr> </tbody> </table> | क्र.स. | विवरण | सिफारिस संख्या | १ | नागरिकता सिफारिस | ११८९ | २ | घरबाटो सिफारिस | ० | ३ | नाता प्रमाणित | ७७ | ४ | जन्म दर्ता , मृत्यु दर्ता | ८३६ | ५ | विवाह दर्ता | २५७ | ६ | सम्बन्ध विच्छेद | ० | ७ | बसाइसराई | ७२ | ८ | अन्य सिफारिस | ८९६ | जम्मा | | ३३२७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| क्र.स. | विवरण | सिफारिस संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | नागरिकता सिफारिस | ११८९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | घरबाटो सिफारिस | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | नाता प्रमाणित | ७७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | जन्म दर्ता , मृत्यु दर्ता | ८३६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | विवाह दर्ता | २५७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | सम्बन्ध विच्छेद | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | बसाइसराई | ७२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८ | अन्य सिफारिस | ८९६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | ३३२७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८. | <p>नक्सा पास : स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २७(१) अनुसार कसैले पनि नगरपालिकाबाट नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर यस वर्ष नगरपालिका नक्सा पास सम्बन्धी काम-कारबाही भएको छैन । त्यसैले तोके बमोजिम संरचना निर्माण गर्नुपूर्व नगरपालिकाबाट त्यसको नक्सा पास गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९. | <p>कानून निर्माण र कार्यान्वयन :स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन तथा सोको अधिनमा रही आवश्यकता अनुसार नियम निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्था अन्तर्गत लेखापरीक्षण अर्वाधि सम्ममा नगरपालिकाले विभिन्न २४ प्रकारका कानूनहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १०. | <p>न्यायिक समिति र न्याय सम्पादन :स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ अनुसार नगरपालिका उपमेयरको नेतृत्वमा न्यायिक समितिले दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनको कार्य गर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाबाट प्राप्त विवरण अनुसार यस वर्ष न्यायिक समितिमा दर्ता र फछ्यौट भएका विवादहरु देहाय बमोजिम छन् ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स</th> <th>दर्ता भएका विवाद</th> <th>दर्ता भएका विवाद</th> <th>फछ्यौट भएका विवाद</th> <th>फछ्यौट हुन बाँकी विवाद</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>खा.पा. मुहान रोक्का</td> <td>२</td> <td>२</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>सम्बन्ध विच्छेद</td> <td>२</td> <td>१</td> <td>१</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>लुटपिट</td> <td>३</td> <td>३</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>अशंवण्डा</td> <td>२</td> <td>१</td> <td>१</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>वन सिमाना कायम गरी पाउँ</td> <td>१</td> <td>१</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>क्षतिपूर्ति भराईपाउँ</td> <td>२</td> <td>२</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>सडक बाटो रोक्का</td> <td>१</td> <td>१</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>८</td> <td>जालसाँजी</td> <td>१</td> <td>१</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">जम्मा</td> <td>१४</td> <td>१२</td> <td>२</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त विवरण अनुसार समितिमा प्राप्त १४ वटा विवादहरु मध्ये १२ विवाद फछ्यौट भई २ वटा विवाद फछ्यौट हुन बाँकी रहेका छन् ।</p> | क्र.स | दर्ता भएका विवाद | दर्ता भएका विवाद | फछ्यौट भएका विवाद | फछ्यौट हुन बाँकी विवाद | १ | खा.पा. मुहान रोक्का | २ | २ | ० | २ | सम्बन्ध विच्छेद | २ | १ | १ | ३ | लुटपिट | ३ | ३ | ० | ४ | अशंवण्डा | २ | १ | १ | ५ | वन सिमाना कायम गरी पाउँ | १ | १ | ० | ६ | क्षतिपूर्ति भराईपाउँ | २ | २ | ० | ७ | सडक बाटो रोक्का | १ | १ | ० | ८ | जालसाँजी | १ | १ | ० | जम्मा | | १४ | १२ | २ | |
| क्र.स | दर्ता भएका विवाद | दर्ता भएका विवाद | फछ्यौट भएका विवाद | फछ्यौट हुन बाँकी विवाद | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | खा.पा. मुहान रोक्का | २ | २ | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | सम्बन्ध विच्छेद | २ | १ | १ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | लुटपिट | ३ | ३ | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | अशंवण्डा | २ | १ | १ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | वन सिमाना कायम गरी पाउँ | १ | १ | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | क्षतिपूर्ति भराईपाउँ | २ | २ | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | सडक बाटो रोक्का | १ | १ | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८ | जालसाँजी | १ | १ | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | १४ | १२ | २ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११. | <p>चौमासिक खर्च : आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २३ बमोजिम स्विकृत भएको कार्यक्रममा नियम २५ बमोजिम चौमासिक प्रगति विवरण बनाई पेश गर्नुपर्ने र चौमासिक लक्ष्य तथा कार्यक्रम बमोजिम कार्यसम्पादन सम्पन्न गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार चौमासिक खर्चको स्थिति देहाय बमोजिम छ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | व्यहोरा | | | | | | बेरुजू रकम रु. | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-----|--------------|--|------|------|--|------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | (हजारमा) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सि. नं. | व.उ.शि. | कूल खर्च | कूल खर्च | | | आषाढ महिनाको खर्च | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | प्रथम चौमासिक | दोस्रो चौमासिक | तेस्रो चौमासिक | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | वित्तीय समानिकरण चालु | २८६१४ | ४५६२ | ८०७० | १५९८१ | १०४४८ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | वित्तीय समानिकरण चालु | १०९६ | ०१०० | ०१०० | १०९६ | १०९६ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | वित्तीय समानिकरण चालु | ५५९६ | ०१०० | ०१०० | ५५९६ | ५५९६ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | वित्तीय समानिकरण चालु | ११९६३ | ४० | २६४४ | ९२८० | ४९११ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | वित्तीय समानिकरण चालु | ५१८१ | ०१०० | १२१८ | ३९६३ | १५८७ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | वित्तीय समानिकरण चालु | १८३२७० | ११५ | ४४९६५ | १३८१९१ | ८८१८६ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | सर्शत अनुदान शिक्षा कार्यक्रम | १२२८०९ | ४२१५२ | ३५९८१ | ४४६७६ | २००१ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८ | सर्शत अनुदान अस्पताल कार्यक्रम | १६२०४ | ७३९६ | ४७९९ | ४००९ | ५६१ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९ | सर्शत अनुदान स्वास्थ्य कार्यक्रम | २७९५४ | ४३८१ | ५५९२ | १७९८१ | १७४२४ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १० | सर्शत अनुदान आयुर्वेद कार्यक्रम | ३६१८ | ६९५ | १४८६ | १४३७ | ३९९ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११ | सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम | ४६८५० | १७३९२ | १५५३० | १३९२८ | १३९२८ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १२ | स्थानिय शासन तथा सहयोग कार्यक्रम | १२४० | ०१०० | ३६६ | ८७४ | २१६ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १३ | दुर्गम क्षेत्र विकास समिति | ७४०७ | ०१०० | २१४५ | ५२६२ | ५००२ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४ | साना सिंचाई | २७१९ | ०१०० | ०१०० | २७१९ | ८२८ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १५ | बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम तर्फ | १५२२ | ०१०० | १३३० | १९२ | १७६ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १६ | जेष्ठ नागरिक कार्यक्रम | २०० | ०१०० | ०१०० | २०० | ०१०० | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १७ | आन्तरिक श्रोत पुँजिगत | ३०४१ | ०१०० | ७३२ | २३०९ | १३३८ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १८ | आन्तरिक श्रोत चालु खर्च | २११२ | ६८३ | १४२८ | ०१०० | ०१०० | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १९ | गतको मौज्जात तथा अन्य | २४२७८ | १२९४७ | ९०४७ | २२८४ | ३०३ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | ४९५६७४ | ९०३६३ | १३५३३३ | २६९९७८ | १५४००० | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | प्रतिशत | | १८.२३ | २७.७७ | ५४ | ३१ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | प्रस्तुत विवरण अनुसार तेस्रो चौमासिकमा ५४ प्रतिशत र अषाढ महिनामा ३१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । तेस्रो चौमासिक तथा आषाढ महिनामा बढी खर्च गर्दा जोखिमका क्षेत्रहरु बढ्न सक्ने, अनुगमन र सुपरभजनमा कठिनाई हुने तथा कामको गुणस्तरमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिएकाले यस्तो अवस्थामा सुधार गरी खर्च प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १२. | <p>प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको परिवर्तन : निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीम तोकिएको अवधिसम्म नगरपालिकामा यस वर्ष ३ जना कार्यकारी अधिकृत/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले जिम्मेवारी सम्हालेको विवरण प्राप्त भएको छ । छिटो छिटो प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन भईरहँदा त्यसले कार्य सम्पादन स्थितिमा पार्न सक्ने असर तर्फ समय मै ध्यान दिनुपर्दछ । नगरपालिकामा यस आर्थिक वर्षमा परिवर्तन भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको विवरण देहाय बमोजिम छ ।</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">पद</th> <th rowspan="2">नाम</th> <th colspan="2">कार्यरत अवधि</th> </tr> <tr> <th>देखि</th> <th>सम्म</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">कार्यकारी अधिकृत/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत</td> <td>उ.स.डिल्लीराज वेल्वासे</td> <td>२०७५/०२/१७</td> <td>२०७५/०३/३२</td> </tr> <tr> <td>शा.अ. रामप्रसाद शर्मा</td> <td>२०७४/०४/०१</td> <td>२०७४/१२/०६</td> </tr> <tr> <td>ना.सु.तुलाराम गिरी</td> <td>२०७४/१२/०७</td> <td>२०७५/०२/१६</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | पद | नाम | कार्यरत अवधि | | देखि | सम्म | कार्यकारी अधिकृत/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | उ.स.डिल्लीराज वेल्वासे | २०७५/०२/१७ | २०७५/०३/३२ | शा.अ. रामप्रसाद शर्मा | २०७४/०४/०१ | २०७४/१२/०६ | ना.सु.तुलाराम गिरी | २०७४/१२/०७ | २०७५/०२/१६ |
| पद | नाम | कार्यरत अवधि | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | देखि | सम्म | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कार्यकारी अधिकृत/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | उ.स.डिल्लीराज वेल्वासे | २०७५/०२/१७ | २०७५/०३/३२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | शा.अ. रामप्रसाद शर्मा | २०७४/०४/०१ | २०७४/१२/०६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ना.सु.तुलाराम गिरी | २०७४/१२/०७ | २०७५/०२/१६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १३. | <p>कर्मचारी व्यवस्थापन : निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम कर्मचारी पदपूर्ति रु व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकामा विभिन्न पदमा रहने कर्मचारी दरवन्दी ४३ रहे तापनि</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | व्यहोरा | | | | | बेरुजू रकम रु. |
|---------|---|------------------------------|------------------|--|------------------------|----------------|
| | लेखापरीक्षण अवधि सम्म पदपूर्ति १७ जना तथा १३ वडा सचिव मध्ये १३ जनाको पदपूर्ति रहेको छ । नगरपालिकाबाट प्राप्त विवरण अनुसार कार्यालयको समग्र कार्य व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका शाखा अधिकृत, इन्जिनियर, वडा सचिव लगायतका पदहरु लामो समय देखी रिक्त रहेका छन् । जसबाट नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवामा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । | | | | | |
| १४. | स्रोत नक्सांकन : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४को दफा ११ बमोजिम प्रत्येक नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको शैक्षिक, भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक स्रोत अन्तर्गत खानी, जंगल तथा अन्य स्रोत, पूर्वाधार अन्तर्गत सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अभिलेख तथा स्रोत नक्सांकन वा नगरपालिकाको प्रोफाइल तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्था अनुसार कार्यालयले नगरपालिकाको स्रोत नक्सांकन गरेको छैन । त्यसैले नगरपालिकाको नीति तथा योजना तर्जुमा लगायतका कार्यमा सहयोग गर्न स्रोत नक्सांकन गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । | | | | | |
| १५. | विद्युतिय लेखा : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा कारोवार को लेखा राख्नु पर्ने तथा महालेख नियन्त्रकको कार्यालयले निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराई सबै नगरपालिकाहरुले Sub-National Treasury Regulatory application (SUTRA) प्रयोग गरी लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार कार्यालयले उक्त प्रणालीमा लेखा सेस्ता अद्यावधिक गरी राखेको छैन । त्यसैले तोकिए बमोजिमको विद्युतिय प्रणालीमा लेखा सेस्ता राख्नु पर्दछ । | | | | | |
| १६. | खरिद व्यवस्थापन : सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खरीद प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा खरीद गर्न नमिल्ने साथै नियम ८४ मा रु.५ लाखदेखि २० लाख लागत अनुमान भएको मालसामान सिलबन्दी दरभाउपत्र द्वारा खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियमानुसार एकमुष्ट खरीद योजना बनाई सिलबन्दी दरभाउपत्र, बोलपत्रको माध्यमबाट खरीद गर्नुपर्नेमा सोभै खरिद गरेको देहाय बमोजिमको रकम अनियमित देखिएको रु. | | | | | ११,७५,१४०.०० |
| | क्र.स | ब.उ.शि.नं. | भौ.नं. र मिति | विवरण | रकम | |
| | १ | वित्तीय समानीकरण (कृषि तर्फ) | ५८-०७५/३/२५ | श्रीस एग्रोभेट सेन्टर, सूर्खेतको बीजक नं. ०८५, ०८६ र ०८७ बाट कृषि सामग्री खरिद रु. | ११,७५,१४०.०० | |
| १७. | पेशकी : स्थानिय निकाय आर्थिक प्रशासन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६४ को नियम १८२ (३) मा दिएको पेशकी तोकिएको म्याद भित्र तोकिएको कार्यविधि अपनाई फछ्यौट गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले निम्न अनुसारका व्यक्ति तथा निकायलाई योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको पेशकी फछ्यौट गरेको देखिएन । नियमानुसार पेशकी अशुल फछ्यौट हुनुपर्ने देखिएको रु. | | | | | ३२,०९,३७३.०० |
| | क्र. सं. | वजेट शिर्षक | गो.भौ.नं. र मिति | पेशकी लिनेको व्यक्ति/संस्थाको नाम | विवरण | पेशकी रकम |
| | १. | | ८३-२०७४.१०.२८ | फलेनी देखि राइकोइरली उ स. | खानेपानी निर्माण | २३७००.०० |
| | २. | | १४२-२०७४.११.३० | गाल्वा खड्ग कृष्ण जे. भी. | भवन निर्माण | ९०९७७३.०० |
| | ३. | | १७२-२०७४.१२.१९ | कालाढुगा महतारागाउँ खाने पानी उ.स. | खानेपानी निर्माण | १३२०००.०० |
| | ४. | वि.स. पूँजगत | १८०-२०७४.१२.२० | मेला आयोजक मुल समारोह समिति | मेला व्यवस्थापनको लागि | २५००००.०० |
| | ५. | | २६२-२०७५.२.८ | खरिदार केदार कार्की | कार्यक्रम खर्च | १४७८९००.०० |
| | ६. | | २६९-२०७५.२.१४ | डौरीखोला खानेपानी निर्माण उ. स. | खानेपानी निर्माण | १६५०००.०० |
| | ७. | साना सिंचाई कार्यक्रम | ४-२०७५.२.१६ | हेलुज्युला सिचाई कुलो निर्माण उ.स. | सिचाई कुलो निर्माण | २५००००.०० |

| दफा नं. | व्यहोरा | | | | | बेरुजू रकम रु. |
|--|---|------------|----------------------|---|-------------|-----------------------------|
| | जम्मा | | | | ३२०९३७३.०० | |
| ब.उ.शि.नं. ८०१८१८३ (वित्तीय समानीकरण चालु तर्फ) | | | | | | |
| १८. | <p>भ्रमण, अनुगमन तथा अन्य खर्च : भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ मा सरकारी काममा भ्रमण तथा अनुगमन गर्दा अपनाउनु पर्ने विधि तथा त्यसको खर्च प्रक्रिया बारे विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छ । यस वर्ष नगरपालिकाले बैठक भत्ता, भ्रमण तथा अनुगमन खर्च, खाजा खाना खर्च लगायतमा गरेको खर्चको व्यहोरा देहाय बमोजिम छनू ।</p> | | | | | |
| १८.१ | <p>भ्रमण किफायती नभएको : भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम (१) अनुसार सरकारी खर्चमा भ्रमण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले सम्भव भएसम्म भ्रमणलाई किफायती र कम खर्चिलो बनाउनु पर्ने उल्लेख छ । तर कार्यालयकले नियम १९ अनुसार दूरी प्रमाणित बेगर नगरपालिका भित्र समेत कर्मचारी विभिन्न नाममा काजमा खटाउने गरेको र भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई वास्तविक काम र सोमा लाग्ने समयलाई वेवास्ता गरी प्रायः ७ दिनको काज स्वीकृत गरी सो अनुसार दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानी गर्ने गरेको छ । जसबाट कार्यालयलाई अनावश्यक व्ययभार पर्ने तथा आर्थिक अनुशासनको पक्ष समेत कमजोर हुँदै जाने तर्फ जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले तत्काल ध्यान दिई यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।</p> | | | | | |
| १८.२ | <p>कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत नगरसभा, नगरकार्यपालिका, वडा समिति लगायतको बैठक भत्ता, अनुगमन भ्रमण, खाजा तथा विविध तर्फ गरेको खर्चको स्थिति देहाय बमोजिम छ ।</p> | | | | | |
| | जम्मा चालु खर्च | बैठक भत्ता | अनुगमन र भ्रमण भत्ता | नगरसभा /नगर कार्यपालिकाको खाजा खाना खर्च | जम्मा | बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत |
| | ५७६९६५४० | ३४७४६२४ | ३०९६३६९ | १०६७८५५ | ७५५८८४८ | १३.१०% |
| | <p>उपरोक्त विवरण अनुसार कार्यालयले रकम बैठक भत्ता, अनुगमन तथा भ्रमण खर्च, खाजा/खाना आदीमा चालु खर्चको १३.१० प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसैले नगरपालिकाको रकम खर्च गर्दा अधिकतम मितव्ययीता कायम गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।</p> | | | | | |
| १९. | <p>नियम विपरितको बैठक भत्ता : कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ अनुसार पदाधिकारीहरुलाई मासिक सुविधा उपलब्ध गराएको अवस्थामा निजहरुलाई तोकिए बाहेक नगर कार्यपालिका, नगर सभा, वडा समिति लगायतको बैठकमा उपस्थित भए बापत बैठक खर्च भुक्तानी दिने व्यवस्था छैन । तर नगरपालिकाले पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कानून विपरित बैठक भत्ता उपलब्ध गराउदै आएको छ । २०७५ जेष्ठ र आषाढको नमुना श्रेस्ता परीक्षण गर्दा बैठक भत्ता बापत भुक्तानी भएको देहाय बमोजिमको रकम असूल गर्नुपर्ने रु.</p> | | | | | ७,५३,७५०.०० |
| | क्र.स | ब.उ.शि.नं. | भौ.नं. र मिति | विवरण | रकम | |
| | १ | ८०१८१८३ | १४५/०७५/३/३२ | नगरसभा र कार्यपालिकाको बैठक भत्ता बापत कर बाहेकको रकम रु. | ७,५३,७५०.०० | |
| | <p>● त्यसैगरी नगरपालिकाबाट अन्य महिनामा नियम विपरित भुक्तानी भएको बैठक भत्ता समेत एकीन गरी असूल गर्नुपर्दछ</p> | | | | | |
| २०. | <p>आर्थिक सहायता : कार्यालयले वित्तीय समानीकरण चालु खर्च तर्फ उद्धार, राहात तथा पुनःस्थापना खर्च शीर्षकबाट खर्चको विल भरपाई राखी नगर कार्यपालिकाको विभिन्न मितिको निर्णय अनुसार रु.४,०००।०० देखि रु.२०,०००।०० सम्म १६ जना लाई रु.२,५३,०००।०० आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउँदा यसको दुरुपयोग नहुने स्थिति तर्फ समेत ध्यान दिनु पर्दछ ।</p> | | | | | |

| दफा नं. | व्यहोरा | बेरुजू रकम रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------|---|------------|---------|------------|---------|----|----|---|------------|---------|------------|---------|----|---|---|------------|----------|------------|----------|----|---|---|------------|--------|------------|--------|----|---|--|------------|---------|------------|---------|----|--|
| २१. | <p>लक्षित समूह खर्च : स्थानीय तहको श्रोत परिचालन गर्दा लक्षित समूहको मागको आधारमा लक्षित समूहको पूँजी निर्माण, सेवा प्रवाहमा सुधार, क्षमता विकासको मापन गर्न सकिने तथा अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी ठोस कार्यक्रम र आयोजनामा मात्र रकम विनियोजन र खर्च गर्नु पर्दछ । कुनै पनि प्रकारका वितरणमुखी कार्यक्रम, सभा सम्मेलन वा गोष्ठी तर्फ हुने खर्च कटौती गर्दै बढी प्रतिफल प्राप्त हुने कार्यक्रम संचालनमा ध्यान दिनुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ब.उ.शि.नं. ८०१८१८३ (वित्तीय समानीकरण पूँजीगत तर्फ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २२. | <p>योजना छनौट र कार्यान्वयन : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभागितमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त योजना छनौट गरि प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नगरसभाबाट स्वीकृत वार्षिक नगर विकास योजना २०७४।७५ को अध्ययन गर्दा नगरपालीकाले स्वीकृत गरी सञ्चालन गरेको अधिकांश योजना न्यून बजेट भएका र लागत प्रभावी हुने किसिमले संचालन गरेको पाइएन । नगरपालिकाले यस वर्ष संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन् ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>१ लाख सम्म</th> <th>१ देखि २ लाख सम्म</th> <th>२ देखि ३ लाख सम्मका</th> <th>३ देखि ४ लाख सम्मका</th> <th>४ देखि ५ लाख सम्मका</th> <th>५ देखि १० लाख सम्मका</th> <th>१० लाख भन्दा बढिका</th> <th>जम्मा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>३२</td> <td>२०</td> <td>१८</td> <td>१०</td> <td>३६</td> <td>४६</td> <td>६८</td> <td>२३०</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त विवरण अनुसार नगरपालिकाले यस वर्ष रु.१ लाख देखि रु ६० लाख सम्मका जम्मा २३० वटा योजना संचालन गरेकोमा रु.५ लाख भन्दा मुनीका मात्र ११६ वटा योजनाहरु रहेका छन् । त्यसैले साना रकमका धेरै योजनाहरु संचालन गर्दा कार्यालयको जनशक्ति वर्षे भरी योजना व्यवस्थापनमा खटिनु पर्ने, संचालित योजनाबाट प्रतिफल भन्दा चालु प्रकृतिका कार्यमा बढी खर्च भई लागत प्रभावी नहुने तथा निर्माण कार्यको गुणस्तरमा समेत नकारात्मक असर पर्ने अवस्था तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ ।</p> | १ लाख सम्म | १ देखि २ लाख सम्म | २ देखि ३ लाख सम्मका | ३ देखि ४ लाख सम्मका | ४ देखि ५ लाख सम्मका | ५ देखि १० लाख सम्मका | १० लाख भन्दा बढिका | जम्मा | ३२ | २० | १८ | १० | ३६ | ४६ | ६८ | २३० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ लाख सम्म | १ देखि २ लाख सम्म | २ देखि ३ लाख सम्मका | ३ देखि ४ लाख सम्मका | ४ देखि ५ लाख सम्मका | ५ देखि १० लाख सम्मका | १० लाख भन्दा बढिका | जम्मा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३२ | २० | १८ | १० | ३६ | ४६ | ६८ | २३० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २३. | <p>योजनाको प्रगति तथा म्याद : कार्यालयले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा लक्ष्य अनुरूप प्रगति हासिल गर्नु पर्दछ । कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार निम्नलिखित योजनामा ७५ प्रतिशत भन्दा न्यून प्रगति हासिल भएको तथा कतिपय योजनाको कार्य सम्पन्न गर्ने अवधि समेत समाप्त भएको छ । यसरी न्यून प्रगति हुनुका कारण तथा समस्या पहिचान गरी निर्धारित लक्ष्य अनुसार समयमै प्रगति हासिल गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । यसरी लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल नभएका तथा निर्माण कार्यको म्याद समाप्त भएका केही योजनाहरुको विवरण देहाय बमोजिम छ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>निर्माण कार्य</th> <th>संभौता मिति</th> <th>सम्भौता रकम</th> <th>सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति</th> <th>यो वर्ष सम्मको खर्च</th> <th>भौतिक प्रगति प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>भुरचौर स्याउली सडक निर्माण वडा नं. १० जाजरकोट</td> <td>२०७४।०३।०७</td> <td>५९७०७७५</td> <td>२०७५।०३।३२</td> <td>२३८२४३१</td> <td>६२</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>लिफ्ट खानेपानी निर्माण वडा नं. १३ जाजरकोट</td> <td>२०७४।११।२८</td> <td>५००००००</td> <td>२०७५।०२।२९</td> <td>१७५००००</td> <td>४२</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>नगरपालिका भवन निर्माण वडा नं. ३ जाजरकोट</td> <td>२०७४।०३।२९</td> <td>३७०६३९९८</td> <td>२०७५।०६।२९</td> <td>१३२७५२३७</td> <td>३३</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>रिम्ना प्रवेशद्वारा निर्माण वडा नं. १ जाजरकोट</td> <td>२०७५।०१।१९</td> <td>५६००००</td> <td>२०७५।०३।१०</td> <td>१८४८००</td> <td>७०</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>काफलगाँव घोरनेटा लामाकाटिया खालीपाखा मदाने सिमल खानेपानी निर्माण वडा नं. ९ जाजरकोट</td> <td>२०७४।०२।०८</td> <td>४४०००००</td> <td>२०७५।०३।१०</td> <td>३६९२०००</td> <td>८२</td> </tr> </tbody> </table> | क्र.सं. | निर्माण कार्य | संभौता मिति | सम्भौता रकम | सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति | यो वर्ष सम्मको खर्च | भौतिक प्रगति प्रतिशत | १ | भुरचौर स्याउली सडक निर्माण वडा नं. १० जाजरकोट | २०७४।०३।०७ | ५९७०७७५ | २०७५।०३।३२ | २३८२४३१ | ६२ | २ | लिफ्ट खानेपानी निर्माण वडा नं. १३ जाजरकोट | २०७४।११।२८ | ५०००००० | २०७५।०२।२९ | १७५०००० | ४२ | ३ | नगरपालिका भवन निर्माण वडा नं. ३ जाजरकोट | २०७४।०३।२९ | ३७०६३९९८ | २०७५।०६।२९ | १३२७५२३७ | ३३ | ४ | रिम्ना प्रवेशद्वारा निर्माण वडा नं. १ जाजरकोट | २०७५।०१।१९ | ५६०००० | २०७५।०३।१० | १८४८०० | ७० | ५ | काफलगाँव घोरनेटा लामाकाटिया खालीपाखा मदाने सिमल खानेपानी निर्माण वडा नं. ९ जाजरकोट | २०७४।०२।०८ | ४४००००० | २०७५।०३।१० | ३६९२००० | ८२ | |
| क्र.सं. | निर्माण कार्य | संभौता मिति | सम्भौता रकम | सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति | यो वर्ष सम्मको खर्च | भौतिक प्रगति प्रतिशत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | भुरचौर स्याउली सडक निर्माण वडा नं. १० जाजरकोट | २०७४।०३।०७ | ५९७०७७५ | २०७५।०३।३२ | २३८२४३१ | ६२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | लिफ्ट खानेपानी निर्माण वडा नं. १३ जाजरकोट | २०७४।११।२८ | ५०००००० | २०७५।०२।२९ | १७५०००० | ४२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | नगरपालिका भवन निर्माण वडा नं. ३ जाजरकोट | २०७४।०३।२९ | ३७०६३९९८ | २०७५।०६।२९ | १३२७५२३७ | ३३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | रिम्ना प्रवेशद्वारा निर्माण वडा नं. १ जाजरकोट | २०७५।०१।१९ | ५६०००० | २०७५।०३।१० | १८४८०० | ७० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | काफलगाँव घोरनेटा लामाकाटिया खालीपाखा मदाने सिमल खानेपानी निर्माण वडा नं. ९ जाजरकोट | २०७४।०२।०८ | ४४००००० | २०७५।०३।१० | ३६९२००० | ८२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | व्यहोरा | | | | | | | बेरुजू रकम रु. |
|---------|---|--|--|---|------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| | ६ | कालागौडा देखि महतारगाउँ कार्कीगाउँ खानेपानी निर्माण वडा नं. ११ जाजरकोट | २०७४।१२।१८ | ४००००० | २०७५।०३।१५ | १३२००० | २५ | |
| | ७ | तल्लो थाप्ले देखि जिल्ला अस्पताल सडक निर्माण वडा नं. ३ जाजरकोट | २०७५।०२।३१ | २०००००० | २०७५।०३।१० | ७५०००० | ५३ | |
| | ८ | नेटाबजार देखि कारागार सडक निर्माण वडा नं. ६ जाजरकोट | २०७५।०१।१६ | ४८००००० | २०७५।०३।१० | ३३००००० | ६७ | |
| | १० | डौरीखोला खानेपानी निर्माण वडा नं. ७ जाजरकोट | २०७५।०२।१४ | ५००००० | २०७५।०३।१० | १६५००० | २७ | |
| २४. | <p>उ.स. बाट सञ्चालित योजनामा मेशिनको प्रयोग : यस नगरपालिका को आ.व. २०७४।०७।७५ मा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित निम्न योजनाहरुमा मेशिनबाट कार्य गर्ने गरी सम्भौता भएको छ । उक्त योजनाहरुको लागत अनुमान, दर विश्लेषण ,प्राविधिक विल एवं कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन समेतमा मेशिनबाट कार्य गरेको उल्लेख भएकोमा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बमोजिमको डोजरको विल संलग्न गरेको छैन । उपभोक्ता समितिबाट पेश भएको विल भर्पाई अनुसार नगरपालिकाबाट बेहोरिने अशंको मात्र डोजरको विल पेश भएको छ भने बाँकी नपुग रकमको डोर हाजिरी तथा इन्धनको विल राख्ने गरेको पाईयो । तेल सहितको डोजर भाडा सम्भौता गरेता पनि पुनः इन्धनको विल पेश गर्ने तथा डोजरबाट हुने कार्यमा डोर हाजिर खर्च पुष्टि हुन सक्ने नदेखिएको हुँदा यसबाट उ.स.को लागत सहभागिता सम्बन्धमा सुनिश्चित हुन सकिएन । यसरी डोजर प्रयोग गरी संचालन गरिएको योजनाका केही उदाहरण देहाय बमोजिम छन् ।</p> | | | | | | | |
| | क्र. स. | गो भौ न र मिति | योजना को नाम | कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन अनुसार कार्य सम्पन्न भएको रकम | डोजर भाडा | तेल बापत भुक्तानी | डोर हाजिर बापत भुक्तानी | |
| | १ | १४३/०७४/१ १/३० | पासागाड देखि काफल चौर सम्म सडक नि.उ.स. | ३७२७७०९ | २३२५००० | ७७१११५ | ६३१५९४ | |
| | २ | १५८/०७४/१ १/३० | वसपार्क देखि जिल्ला अस्पताल सम्म सडक नि.उ.स. | ११००००० | ५६०००० | ५४०००० | ० | |
| | ३ | २४२/०७५/२ /१ | बर्मे खम्बा देखी पौरी पोखरा सडक निर्माण उ.स. | ११३२४०० | ९३२००० | ४५४६३० | २८३१०० | |
| | ४ | १९३/०७५/१ ५ | सालघाटी बरबारा फारुला लिमिले हुँदै बाहुनथाना सडक नि. उ. स. | १८८२०८० | ११२४००० | ४३९५४२ | ५७६००० | |
| २५. | <p>उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य : उपभोक्ता समितिबाट भएको निर्माण कार्यको परीक्षण गर्दा देखिएको व्यहोराहरु यस प्रकार छन् :</p> <ul style="list-style-type: none"> • उपभोक्ता समिति दर्ता – संस्था दर्ता ऐन, २०३४ दफा ३ अनुसार कुनै पनि संस्था विधान सहित दर्ता नभएमा संस्थालाई कानूनी मान्यता दिन मिल्ने देखिदैन । कार्यालयले यसवर्ष संभौता गरेका कुनैपनि उपभोक्ता समिति ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार मान्यता प्राप्त हुनेगरी दर्ता नभई स्थानीय रुपमा आयोजनाको बजेटको आधारमा अस्थाई समिति गठन हुने र काम सम्पन्न पश्चात् समिति विघटन हुने हुँदा निर्माण सम्पन्न योजनाहरु अलपत्र भएमा जिम्मेवार बनाउन कठिनाई हुने भएकोले स्थायी संयन्त्र मार्फत काम गर्ने गरी उपभोक्ता समितिको कार्यमा सुधार हुनुपर्दछ । | | | | | | | |

| दफा नं. | व्यहोरा | बेरुजू रकम रु. |
|---------|--|----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● लागत अनुमान र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनको रकममा समानता : सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को ९७ उपनियम (११) अनुसार उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सकेपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले खटाएको प्राविधिक कर्मचारीबाट त्यस्तो कामको जाँचपास गराई त्यस्तो निकायबाट प्राप्त रकम र जनसहभागिताबाट व्यहोरिएको श्रम, नगद वा जिन्सी समेत कुल खर्चको विवरण सो निकायमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले त्यसरी प्राप्त भएको विवरणको अभिलेख राख्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । नगरपालिकाबाट संचालित योजनाहरुमा प्राविधिकहरुबाट नाँपजाच भएको अधिकांश निर्माण कार्यहरुको लागत अनुमानसँग समान हुने गरी कार्यसम्पन्न भएको देखाईएको छ । जसबाट स्थलगत रुपमै वास्तविक नाँपजाँच भएको हो र नभएको कामको भुक्तानी भएको छैन भनि विश्वस्त हुने आधार भएन । यसरी नाँपजाँच गर्ने प्राविधिकलाई जिम्मेवार बनाई निर्माण कार्यमा नियन्त्रण एवं सुधार गर्नुपर्दछ । ● लागत अनुमान एवं खर्चको यथार्थता: सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० अनुसार लागत अनुमान तयार गर्दा स्थानीय जिल्ला दररेटलाई आधार लिई निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत कन्टीन्जेन्सी कटाई भुक्तानी दिन मिल्नेगरी सभाबाट विनियोजित बजेट रकमको परिधिभित्र रही लागत अनुमान तयार गर्ने र सबै निर्माण कार्यमा लागत अनुमान अनुसारको दररेट कै आधारमा नापी किताब र कार्यसम्पन्न तयार गर्ने गरेको छ । निर्माण स्थलको संरचना, माटोको प्रकार लगायत कार्यमा पर्नसक्ने फरकता समेतको विचार नगरी लागत अनुमान अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्ने गरेको छ । ● भुक्तानी रकम र वास्तविक खर्च : प्राविधिकले स्थलगत नाँपजाँचका आधारमा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको, अनुगमनले यथार्थ कार्यको पुष्टी हुने गरी अनुगमन प्रतिवेदन गरेको प्रति आश्वस्त हुन नसक्नुका साथै खर्च भएका बील भरपाई र निर्माण कार्यबीच तालमेल नदेखिएकोले निर्माण कार्यमा भएको खर्च यथार्थता अनुसार वास्तविक नाँपजाचका आधारमा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्ने गरेको छ भन्न सकिएन । साथै लागत अनुमान, उपभोक्ता विल तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा मानिसको काम उल्लेख नभएको अवस्थामा लागत सहभागिता देखाउने तथा इन्धन सहितको डोजर भाडा लिई भुक्तानी गरेको अवस्थामा पूनः इन्धन विल पेश गरी भुक्तानी लिने तथा योजनाको लागत देखाउने गरेको छ । जसबाट योजनाको लागतमा वृद्धि हुने तथा लागत सहभागिता बेगर उपभोक्ता समितिले योजनाबाट रकम वचत गर्न सक्ने समेत देखियो । त्यसैले यस्तो कार्यमा संलग्न उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा नापजाँचमा संलग्न प्राविधिक कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ । ● निर्माण कार्यको लागत : सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ उपनियम (११) मा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि सार्वजनिक निकायलाई प्राप्त भएको भौतिक संरचनाहरुको विवरण खुलाई अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा नगरपालिकाले यस वर्ष संचालन गरेको सिंचाइ एवं खानेपानी योजना निर्माण कार्यको लागत अद्यावधिक गरेको देखिएन । नगरपालिकाले गत विगत वर्ष देखि संचालन भएको कार्यक्रमबाट निर्माण गरेको भौतिक संरचनाहरु समेतको लागत राख्ने व्यवस्था गरी निर्माण कार्यको लागत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखियो । ● आयोजना हस्तान्तरण : सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७(१२) बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक निकायले सोको रेखदेख, मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी समेत तोक्यो आयोजनाको स्वामित्व उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही | |

| दफा नं. | व्यहोरा | बेरुजू रकम रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--------------------------------|---------------|-------|-----|-------------|---|---------------------------|--------------------------------|--------|---|--------------------|--|--|--------|---|---|------------------------------------|-------------|--------|---|---|--|---|--------|--------------|--|--|--|---------------|--|
| | समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष उपभोक्ता समितिबाट सम्पन्न गरेको कुनै पनि आयोजना नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम हस्तान्तरण गरेको देखिएन । जसबाट सम्पन्न आयोजना मर्मत, रेखदेख तथा उचित संरक्षण हुन नसकि लगानी खेर जान सक्ने देखिन्छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २६. | सर्वेक्षण खर्च : सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ ले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा निकायले परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले यस वर्ष सर्वेक्षण गर्ने जनशक्ती नभएको उल्लेख गरी विभिन्न योजनाको सर्वेक्षण तथा डिजाइन खर्च वापत रु.५,४९,१६२।०० भुक्तानी गरेको छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २७. | स्वकीय सचिव : मिति २०७४।०५।०९ को निर्णय अनुसार नगरपालिका प्रमुख श्री चन्द्रप्रकाश घर्तिलाई ना.सु. स्तरका स्वकीय सचिव उपलब्ध गराई निजको पारिश्रमिक वापत आन्तरीक श्रोतबाट मासिक रु.२३,५००।०० का दरले २०७४।०५।०९ देखि २०७५।०३।३२ सम्म जम्मा रु.२,५८,५००।०० खर्च लेखेको छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २८. | अन्य संस्थालाई अनुदान : आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६(८) मा पर्याप्त आधार तथा प्रमाणका आधारमा मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने तथा खर्च लेखाङ्कन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नगरसभाको निर्णय अनुसार विभिन्न संस्थाहरूलाई बजेट व्यवस्था गरी भुक्तानी गरेकोमा उक्त कार्यको आवश्यकता र औचित्य समेत मूल्यांकन नगरी भत्ता, खाजा, सामान खरिदमा मात्र खर्च गर्ने तथा बजेट खर्च गर्ने मनासयले मात्र खर्च गर्ने गरेको छ । त्यसैले यस प्रकारका संस्थालाई दिने अनुदान तथा खर्चको आवश्यकता र औचित्य बारे पूनःमूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता संस्था तथा कार्यमा गरेको खर्चका केही उदाहरण देहाय बमोजिम छन् । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>गो.भौ.न. / मिति</th> <th>संस्थाको नाम</th> <th>विवरण</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>४८- २०७४/१०/१४</td> <td>जिल्ला खेलकुद विकास समिति</td> <td>खेलकुद प्रतियोगिता संचालन गर्न</td> <td>१३००००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>१८३- २०७४/११/२४</td> <td>राष्ट्रिय लोक दोहोरी प्रतिष्ठान, जिल्ला कार्यसमिति जाजरकोट</td> <td></td> <td>१०००००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>-</td> <td>नेपाल पत्रकार महासंघ, जाजरकोट शाखा</td> <td>भवन निर्माण</td> <td>२५००००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>-</td> <td>जिल्लाका पत्रकारहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम</td> <td>-</td> <td>२५००००</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">जम्मा</td> <td>७३००००</td> </tr> </tbody> </table> | क्र.स. | गो.भौ.न. / मिति | संस्थाको नाम | विवरण | रकम | १ | ४८- २०७४/१०/१४ | जिल्ला खेलकुद विकास समिति | खेलकुद प्रतियोगिता संचालन गर्न | १३०००० | २ | १८३- २०७४/११/२४ | राष्ट्रिय लोक दोहोरी प्रतिष्ठान, जिल्ला कार्यसमिति जाजरकोट | | १००००० | ३ | - | नेपाल पत्रकार महासंघ, जाजरकोट शाखा | भवन निर्माण | २५०००० | ४ | - | जिल्लाका पत्रकारहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम | - | २५०००० | जम्मा | | | | ७३०००० | |
| क्र.स. | गो.भौ.न. / मिति | संस्थाको नाम | विवरण | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | ४८- २०७४/१०/१४ | जिल्ला खेलकुद विकास समिति | खेलकुद प्रतियोगिता संचालन गर्न | १३०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | १८३- २०७४/११/२४ | राष्ट्रिय लोक दोहोरी प्रतिष्ठान, जिल्ला कार्यसमिति जाजरकोट | | १००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | - | नेपाल पत्रकार महासंघ, जाजरकोट शाखा | भवन निर्माण | २५०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | - | जिल्लाका पत्रकारहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम | - | २५०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | | ७३०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ब.उ.शि.नं. ८०१८१८३ (वित्तीय समानीकरण पशु तर्फ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २९. | असूली : आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६(३) मा विलभरपाईको जाँच गरी खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ । देहाय बमोजिमको कारोबार असूल गरी राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने रकम रु. | ८९३२.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>भौ.नं. र मिति</th> <th>विवरण</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>२५/०७५/२/१६</td> <td>मासु पसलका लागि अनुदान वापतको रकममा कट्टी गरेको रकम दाखिला गर्न बाँकी रहेको रु.</td> <td>८९३२.००</td> </tr> </tbody> </table> | क्र.स. | भौ.नं. र मिति | विवरण | रकम | १ | २५/०७५/२/१६ | मासु पसलका लागि अनुदान वापतको रकममा कट्टी गरेको रकम दाखिला गर्न बाँकी रहेको रु. | ८९३२.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| क्र.स. | भौ.नं. र मिति | विवरण | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | २५/०७५/२/१६ | मासु पसलका लागि अनुदान वापतको रकममा कट्टी गरेको रकम दाखिला गर्न बाँकी रहेको रु. | ८९३२.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | सशर्त अनुदान शिक्षा तर्फ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३०. | विद्यालयगत निकासा रजिष्टर : आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ४५ मा अधिकार प्राप्त अधिकारीले आय व्यय ठीक र विश्वसनिय रहेको तथा दोहोरो हुने गरी भुक्तानी भएको छैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । कार्यालयले तोकिएको ढाँचामा विभिन्न विद्यालयलाई निकासा दिएको रकमको स्पष्ट विवरण खुल्ने गरी अभिलेख राख्नु पर्नेमा यथार्थ विवरण खुल्ने गरी विद्यालयगत निकासा अभिलेख राखेको छैन । जसबाट विद्यालयलाई वास्तविक रूपमा निकासा दिनु पर्ने र भुक्तानी दिएको रकम बारे यथार्थ विवरण प्राप्त गर्न कठिन हुने भएकाले विद्यालयगत निकासा रजिष्टर खाता राख्नु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३१. | छात्रवृत्ति वितरण : कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका अनुसार कुनै पनि छात्रवृत्ति दोहोरो नपर्ने गरी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | व्यहोरा | | | | बेरुजू रकम रु. |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| | वितरण गर्ने व्यवस्थाका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले यस आ.व. मा छात्रवृत्ति वापत विभिन्न विद्यालयहरुलाई रु.२६,६९,८००.०० निकासी दिएको छ। तर उक्त छात्रवृत्ति रकम दोहोरो परे नपरेको तथा तोकिएको प्रक्रिया अनुसार वितरण भए नभएको सम्बन्धमा कार्यालयले अनुगमन गरेको छैन। जसबाट छात्रवृत्ति रकमको सही उपयोग सम्बन्धमा सुनिश्चित हुने आधार देखिएन। त्यसैले कार्यालयबाट निकासी हुने छात्रवृत्ति रकम प्रदान गर्दा दोहोरो नहुने तथा तोकिए बमोजिम वितरण गर्ने व्यवस्थाका लागि निरन्तर अनुगमन मूल्यांकन हुनु पर्दछ। | | | | |
| वित्तीय समानीकरण स्वास्थ्य तर्फ | | | | | |
| ३२. | स्थानीय भत्ता असूली : निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ९३ अनुसार कुनै कर्मचारी स्थानीय भत्ता पाउने स्थानमा बसी काम गरेको अवस्थामा मात्र त्यस्तो भत्ता पाउने व्यवस्था छ। तर कार्यालयका निम्न कर्मचारीले स्थानीय भत्ता नपाउने स्थानमा बसेको अवधिमा समेत स्थानीय भत्ता लिएको अवस्था भुक्तानी लिएको रकम असूल गर्नुपर्ने रु. | | | | २४९७०२.५७ |
| | क्र. स | गो.भौ र मिति | कर्मचारीको पद र नाम | अवधी | असूल गर्नुपर्ने स्थानीय भत्ता रु. |
| | १ | १/२०७४/६/२, ७/२०७४/०९/३ | अ.हे.व. श्री भरत कुमार भडेल | २०७४।४।१ देखि ४।२६ र २०७४।११।१० देखि ११।२९ सम्म | ८०५०.०० |
| | २ | १/२०७४/६/२, ७/२०७४/०९/३ | हे.अ. श्री दिल बहादुर घर्ती | २०७४।४।५ देखि ४।२९ र २०७४।११।१० देखि ११।२८ | ७५२५.०० |
| | ३ | १/२०७४/६/२ | हे.अ. श्री यशोदा के.सी. | २०७४।६।१० देखि ६।३१ सम्म | ३८५६.९९ |
| | ४ | ७/२०७४/९/२३ , ५५/२०७५/३/२ ५ | हे.अ. श्री निशा थापा | २०७४।८।१ देखि ८।३० र २०७५।१।१ देखि १।१८ सम्म | ८८१५.९९ |
| | ५ | ७/२०७४/९/२३ , ५५/२०७५/३/२ ५ | अ.हे.व. श्री दिपेन्द्र व. शाही | २०७४।०८।०१ देखि ८।३० र २०७५।०२।०१ देखि आषाढ मसान्त सम्म | १३८००.०० |
| | ६ | - | अ.न.मी श्री शान्ता बुढा | २०७४।०८।०२ देखि ८।३० सम्म | ४२९३.०० |
| | ७ | ५५/२०७५/३/२ ५ | अ.न.मि. श्री विन्दु त्रिपाठी | २०७४।११।०१ देखि ११।१९ सम्म | २९१३.०० |
| | ८ | ५५/२०७५/३/२ ५ | अ.न.मि. श्री संचिता गौतम | २०७४।११।११ देखि २०७५।१।३० सम्म | १३८००.०० |
| | ९ | ५५/२०७५/३/२ ५ | अ.हे.व. श्री लक्ष्मी थापा | २०७५।०१।०१ देखि आषाढ मसान्त सम्म | १३८००.०० |
| | १० | १/२०७४/६/१, ५८/२०७५/३/३ २ | डा. श्री चादनी जैसवाल | २०७४।४।१० देखि ४।२९, ६।३ देखि ६।२४ र २०७४ मंसिर ६ देखि आषाढ मसान्तसम्म काठमाडौं काज | ६९००५.९९ |
| | ११ | १/२०७४/०६/० १ | डा. श्री निरज बस्नेत | २०७४ वैशाख देखि चैत्र मसान्तसम्म अनुपस्थित तर तलब भत्ता असोज सम्म मात्र भुक्तानी भएको | ४७४९०.०० |

| दफा नं. | व्यहोरा | | | | | बेरुजू रकम रु. |
|--|---|------------|---------------------------|---|--|----------------|
| | १६ | १/२०७४/६/१ | हे.अ. श्री दिप बहादुर वली | २०७४।४।२८ देखि ५।५० र मंसिर महिना परै मिति २०७४।७।२२ देखि बेतलवि विदामा रहेकोका मंसिर महिनाको भुक्तान भएको तलब भत्ता समेत | ३८२७२.६० | |
| | २० | | अ.न.मि. श्री नारायण शाह | २०७४ माघ र फागुन पुरै महिना तथा २०७५।२।२१ देखि ३।२८ सम्म | १८०८०.०० | |
| | जम्मा | | | | २४९७०२.५७ | |
| ३३. | <p>बढी भुक्तानी : आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६(३) मा विल भरपाईको जाँच गरी खर्च लेखनुपर्ने व्यवस्था छ। जिल्ला अस्पताल जाजरकोटको निमित्त कार्यलय प्रमुख डा. चादनी जैसवाल मिति २०७४ मंसिर ६ बाट काठमाडौं काजमा रहेका बखतमा पनि निमित्त भत्ता वापत २०७५ आषाढ सम्मको नै रकम भुक्तानी भएको छ। अस्पतालमा कार्यरत नरहेको अवस्थामा निजलाई भुक्तानी भएको निमित्त भत्ता वापतको रकम असूल गर्नुपर्ने रु.</p> | | | | | २३,८४८.०० |
| ३४. | <p>बढी ग्रेड असूली : निजामती सेवा, २०५० को दफा २७(३) अनुसार ग्रेड वृद्धि तथा आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ मा पारित तलवी प्रतिवेदनको आधारमा ग्रेड खर्च लेख्न सकिने व्यवस्था छ। कार्यालयले तपसिल बमोजिका कर्मचारीलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जाजरकोटबाट पारित तलवि प्रतिवेदन भन्दा बढी ग्रेड खर्च लेखेको देखियो। त्यसैले बढी भुक्तानी भएको ग्रेड रकम सम्बन्धित कर्मचारीबाट असूल गर्नुपर्ने रु.</p> | | | | | ९५७१.१२ |
| | क्र.स | पद | कर्मचारीको नाम | रकम | कैफियत | |
| | १ | का.स. | श्री भक्ती प्रसाद शर्मा | ९५७१.१२ | ११ महिनाको ग्रेड र पर्व खर्च क.सं.कोष सहित | |
| ब.उ.शि.नं ३६५०१५३ (सामाजिक सुरक्षा) | | | | | | |
| ३५. | <p>सामाजिक सुरक्षा : सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७२ ले लाभग्राहीको नाम दर्ता र नवीकरण, लगत कट्टा तथा भत्ता वितरण लगायत यससँग सम्बन्धित विविध व्यवस्थाहरु गरेको छ। यस वर्ष नगरपालिकाले रु.४,६८,५०,४००।०० सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेकोमा देखिएका व्यहोराहरु देहाय बमोजिम छन्।</p> | | | | | |
| ३५.१ | <p>(क) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ अनुसार तोकिएको मिति भित्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको छैन।</p> <p>(ख) लेखापरीक्षका क्रममा यस आ.व. मा विभिन्न कारण लगत कट्टा भएका लाभग्राहीको संख्या एकिन र स्पष्ट हुने अद्यावधिक विवरण उपलब्ध हुन सकेन।</p> <p>(ग) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०६९ को दफा ९ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नियमित रूपमा अनुगमनको व्यवस्था गरेको छैन।</p> <p>त्यसैले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग हुन नदिने नगरपालिका स्तरीय अनुगमन संयत्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै तोकिए बमोजिम भत्ता वितरण र लगत अद्यावधिक गर्ने कार्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।</p> | | | | | |
| ३५.२ | <p>नगरपालिकाले यस वर्ष वितरण गरेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी विवरण देहाय बमोजिम छ।</p> | | | | | |
| | २०६८ को जनगणना अनुसार न.पा.कोकुल जनसंख्या | वडा नं. | लाभग्राहीको संख्या | लाभग्राही संख्याको आधारमा वडागत लाभग्राही प्रतिशत | | |

| दफा नं. | व्यहोरा | | | | बेरुजू रकम रु. | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|-------|----------------|----------------|-------|--------|---|---------------------------------|--|----------|-----------|--|------------|--|--------------|
| | ३३,२४३ | १ देखि १३ सम्म | ३२४७ | ९.७७% | | | | | | | | | | | | | |
| | उपरोक्त विवरण अनुसार नगरपालिकाको कुल जनसंख्या ३३,२४३ मध्ये सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको संख्या ३२४७ रहेका छन् । जुन कुल जनसंख्याको ९.७७ प्रतिशत हुन आउँछ । | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३६. | <p>मुल अभिलेख : सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७२ को दफा ९ मा नगरपालिकाले भत्ता पाउने लाभग्राही हरुको फोटो सहितको अनुसूची ५ बमोजिमको मुल अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने उल्लेख छ । यस कार्यालयले निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम लाभग्राही हरुको मुल अभिलेख अद्यावधिक गरी राखेको पाइएन । यो वर्ष मुल अभिलेखमा उल्लेखित लाभग्राही वाहेक थप लाभग्राहीलाई भत्ता वितरण गरेको भनि सबै वडामा पहिलो, दोस्रो तथा तेस्रो चौमासिकमा गरी ६५९ जना लाभग्राहीको नाम थप गरी रु.२६,७७,०६५।०० बजेट खर्च लेखेको छ । मुल अभिलेखमा उल्लेखित लाभग्राही वाहेक अन्य थप लाभग्राहीलाई भत्ता वितरण गर्न मिल्ने नदेखिएकोले थप भएका लाभग्राहीका सम्बन्धमा छानविन गरि मुल अभिलेख अद्यावधिक गरि यथार्थ खर्च एकिन गर्नुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३७. | <p>सामाजिक सुरक्षा पेशकी : आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ७९(१) अनुसार सरकारी रकम पेशकी लिने सरकारी कर्मचारी वा अन्य जुनसुकै व्यक्तिले तोकिएको समयमा पेशकी फछ्यौट नगरेमा पेशकी रकम म्याद नाघेको मितिले तोकिए बमोजिम ब्याज समेत असुल गर्ने व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरी पेशकी फछ्यौट गर्दा बाँकी रकम फिर्ता नगरी सम्बन्धित कर्मचारीले नै नगद राखेको देखिएकाले तल उल्लेखित बाँकी रकमको अवधि गणना गरी सोमा ब्याज समेत असूल गरी संघीय संचित कोष दाखिला गर्नुपर्ने रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>कर्मचारीको नाम</th> <th>रकम</th> <th>कैफियत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>खरिदार श्री केदार बहादुर कार्की</td> <td>३५१५५३५.००</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">जम्मा</td> <td>३५१५५३५.००</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | क्र.स. | कर्मचारीको नाम | रकम | कैफियत | १ | खरिदार श्री केदार बहादुर कार्की | ३५१५५३५.०० | | जम्मा | | ३५१५५३५.०० | | ३५,१५,५३५.०० |
| क्र.स. | कर्मचारीको नाम | रकम | कैफियत | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | खरिदार श्री केदार बहादुर कार्की | ३५१५५३५.०० | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | ३५१५५३५.०० | | | | | | | | | | | | | | | |
| ब.उ.शि.नं. ३६५८४७३ (बहुक्षेत्रीय पोषण) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३८. | <p>असूली : आर्थिक कार्यविधि नियमावलि, २०६४ को नियम ३६(३) मा विलभरपाईको जाँच गरी खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ । देहाय बमोजिमको कारोबार असूल गरी राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने रकम रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>भौ.नं. र मिति</th> <th>विवरण</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td></td> <td>सि.अ.न.मी. श्री कौशिला वटाला २०७५।१।१४ देखी १९ सम्म विदामा रहेको अवधिमा भुक्तानी भएको काज वापतको रकम रु.</td> <td>११०६०.००</td> </tr> </tbody> </table> | | | | क्र.स. | भौ.नं. र मिति | विवरण | रकम | १ | | सि.अ.न.मी. श्री कौशिला वटाला २०७५।१।१४ देखी १९ सम्म विदामा रहेको अवधिमा भुक्तानी भएको काज वापतको रकम रु. | ११०६०.०० | ११,०६०.०० | | | | |
| क्र.स. | भौ.नं. र मिति | विवरण | रकम | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | | सि.अ.न.मी. श्री कौशिला वटाला २०७५।१।१४ देखी १९ सम्म विदामा रहेको अवधिमा भुक्तानी भएको काज वापतको रकम रु. | ११०६०.०० | | | | | | | | | | | | | | |
| जिन्सी व्यवस्थापन तर्फ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३९. | <p>सम्पत्ति लेखांकन : नगरपालिका र अन्तरगतका वडाको स्वामित्वमा रहेका भवन, जग्गा, सवारी साधन, फर्निचर, विद्युतीय सामान लगायतका सम्पत्तिको मूल्यांकन समेत देखिने गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने सो गरेको पाइएन । कूल मूल्य खुल्ने गरी स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिको अद्यावधिक अभिलेख तयार गरी सम्पत्ति लेखांकनलाई सुदृढ गर्नुपर्ने देखिएको छ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४०. | <p>सम्पत्ति हस्तान्तरण : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार विषयगत कार्यालयको चल अचल सम्पत्ति, दायित्व तथा अभिलेख त्यसरी कायम भएका गाउँपालिका वा नगरपालिकामा स्वतः हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ । यसरी हस्तान्तरण हुने सम्पूर्ण सम्पत्तिको अभिलेख तथा जिन्सी लगत खाता २०७५ असार मसान्त भित्र स्थानीय तहले तयार गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा नगरपालिकाले</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | व्यहोरा | बेरुजू रकम रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|--|----------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--|---------|---|-----------|--|---|-----|---|---------|--|--|--|--------------|----------------|--|
| | सम्पत्तिको अभिलेख तथा जिन्सी लगत तयार नगरेको, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, मोबाईल फोन सेट र अन्य फर्निचर जस्ता मूल्यवान समानहरु जिम्मेवारी सार्ने गरेको पाईएन । यसरी जिन्सी मालसामानको आम्दानी नजनाउँदा जिन्सी मालसामानहरु हराउन, हिनामिना हुन सक्ने हुँदा खरिद गरिएका मालसामानहरुको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित जिन्सी खातामा आम्दानी जनाई जिन्सी खाता अद्यावधिक गर्नुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४१. | बरबुभारथ : मन्त्रालयको मिति २०७३।१२।२५ को आर्थिक कारोबार तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारिएको परिपत्रको दफा १७ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा समाहित भएका साविकका गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाको नाममा रहेको पेशकी तथा बेरुजू अभिलेख समायोजन भएको नगरपालिकामा कायम गरी नियमानुसार पेशकी फछ्यौट तथा बेरुजू सम्परीक्षण कार्य गर्नुपर्नेमा यस नगरपालिकामा समाहित भएका साविकका विषयगत कार्यालयको बेरुजू लगत तथा सम्परीक्षणको अभिलेख नगरपालिकाले एकिन गरी अद्यावधिक नगरेकोले उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | आन्तरिक आय तर्फ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४२. | आन्तरिक आय : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले नगरपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय समेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को आन्तरिक आय र केन्द्रीय अनुदानको स्थिति देहाय बमोजिम छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>बजेट</th> <th>केन्द्रीय अनुदान</th> <th>आन्तरिक आय</th> <th>आन्तरिक आय प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>५४२९२०६१५।६२</td> <td>५०८२६८०००।००</td> <td>३६१७३८६।७५</td> <td>०।७१ प्रतिशत</td> </tr> </tbody> </table> | बजेट | केन्द्रीय अनुदान | आन्तरिक आय | आन्तरिक आय प्रतिशत | ५४२९२०६१५।६२ | ५०८२६८०००।०० | ३६१७३८६।७५ | ०।७१ प्रतिशत | | | | | | | | | | | | | | | |
| बजेट | केन्द्रीय अनुदान | आन्तरिक आय | आन्तरिक आय प्रतिशत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५४२९२०६१५।६२ | ५०८२६८०००।०० | ३६१७३८६।७५ | ०।७१ प्रतिशत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | उपरोक्त विवरण अनुसार स्थानीय तहमा प्राप्त केन्द्रीय अनुदान मध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा ०.७१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यसैले नगरपालिकाको आन्तरिक आयको दायरा फराकिलो पार्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४३. | राजश्व अभिलेख : आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को परिच्छेद ४ दफा १२ र १३ ले राजस्वको अभिलेख अद्यावधिक गरी सोको लेखापरीक्षण गराउने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहहरुबाट लेखापरीक्षणको क्रममा नगरपालिका र अर्न्तगतका वडा कार्यालयबाट भएको राजस्व आम्दानीको स्पष्ट विवरण देखिने गरी अभिलेख नराखेको तथा नगदी रसीदको प्रयोगमा समेत अस्पष्टता र दोहोरोपना देखिएको छ । त्यसैले रसीद नियन्त्रण खाता सहित आन्तरिक आयको उचित अभिलेखाङ्कन तथा परिचालन गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४४. | आ.ले.प. व्यहोराको कार्यान्वयन : आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ९६(३) मा कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट कायम भएका बेरुजू अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु अगावै फछ्यौट गरी लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट औल्याइएका देहाय बमोजिमका बेरुजूको असूल फछ्यौटको कारवाही हुनुपर्ने रु. | ७३७५.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४५. | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>शीर्षक</th> <th>भौ.नं. र मिति</th> <th>विवरण</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td rowspan="3">बहुक्षेत्रीय पोषण</td> <td>१४-</td> <td>सि.अ.न.मि. श्री कौशिला बटलाको पे.फ गर्दा भाडा भुक्तानीको रकममा बहाल कर कट्टी रकम राजस्व दाखिला नभएको रु.</td> <td rowspan="2">३२००.००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>००७५/३/२५</td> <td></td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>१९-</td> <td>भे.न.पा. वडा नं. ९ लाई विल भपाई भन्दा बढी भुक्तानी रकम असूल गर्ने रु.</td> <td>४१७५.००</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>जम्मा</td> <td>७३७५.००</td> </tr> </tbody> </table> | क्र.स. | शीर्षक | भौ.नं. र मिति | विवरण | रकम | १ | बहुक्षेत्रीय पोषण | १४- | सि.अ.न.मि. श्री कौशिला बटलाको पे.फ गर्दा भाडा भुक्तानीको रकममा बहाल कर कट्टी रकम राजस्व दाखिला नभएको रु. | ३२००.०० | २ | ००७५/३/२५ | | ३ | १९- | भे.न.पा. वडा नं. ९ लाई विल भपाई भन्दा बढी भुक्तानी रकम असूल गर्ने रु. | ४१७५.०० | | | | जम्मा | ७३७५.०० | |
| क्र.स. | शीर्षक | भौ.नं. र मिति | विवरण | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | बहुक्षेत्रीय पोषण | १४- | सि.अ.न.मि. श्री कौशिला बटलाको पे.फ गर्दा भाडा भुक्तानीको रकममा बहाल कर कट्टी रकम राजस्व दाखिला नभएको रु. | ३२००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | | ००७५/३/२५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | | १९- | भे.न.पा. वडा नं. ९ लाई विल भपाई भन्दा बढी भुक्तानी रकम असूल गर्ने रु. | ४१७५.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | जम्मा | ७३७५.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४६. | वित्तीय जवाफदेहिता : कार्यालयले विभिन्न ऐन कानून एवं कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाको पालना गरी वित्तीय जवाफदेहिताको स्तर उच्च राख्नु पर्दछ । व्यवस्थापकीय, वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र खरिद व्यवस्थापन पक्षसँग सम्बन्धित विभिन्न २० सूचकको आधारमा यस कार्यालयको वित्तीय जवाफदेहिता मूल्यांकनबाट कार्यालयको वित्तीय जवाफदेहिताको स्तरले "सी" ग्रेडिङ प्राप्त | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | व्यहोरा | बेरुजू रकम रु. | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------|------|------|-------|--|
| | गरेको छ । अत वित्तीय जवाफदेहिताको स्तरमा सुधार ल्याउनु पर्दछ । | | | | | | | | | |
| ४७. | बेरुजू : नगरपालिकाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष असुल गर्नुपर्ने बेरुजू रु.५४ लाख ९६ हजार, अनियमित बेरुजू रु.११ लाख ७५ हजार, प्रमाण कागजात पेश नभएको बेरुजू रु.२ करोड ५ लाख १० हजार र पेशकी बाँकी देखिएको रु.४६ लाख ६२ हजार समेत रु.३ करोड १८ लाख ४३ हजार बेरुजू कायम भएकोमा प्रतिक्रियाबाट/समायोजन भई रु.२ करोड २८ लाख ५३ हजार फछ्यौट भई रु.८९ लाख ८९ हजार बेरुजू कायम भएको छ । | | | | | | | | | |
| ४८. | अनुगमन तथा मूल्याङ्कन : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बेरुजू फछ्यौट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ८४(२) (घ) बमोजिम बेरुजू फछ्यौट गर्ने, गराउने काम कर्तव्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । कार्यालयले गत वर्षको बेरुजू फछ्यौट गरेको देखिएन । गत वर्षको बेरुजू स्थिति निम्नानुसार देखिएको छ : (रु.हजारमा) | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>गत वर्षको बेरुजू रकम (A)</th> <th>यो वर्ष फछ्यौट (B)</th> <th>बाँकी (C= A-B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१८५२५</td> <td>१४६६९</td> <td>३८५६</td> </tr> </tbody> </table> | गत वर्षको बेरुजू रकम (A) | यो वर्ष फछ्यौट (B) | बाँकी (C= A-B) | १८५२५ | १४६६९ | ३८५६ | | | |
| गत वर्षको बेरुजू रकम (A) | यो वर्ष फछ्यौट (B) | बाँकी (C= A-B) | | | | | | | | |
| १८५२५ | १४६६९ | ३८५६ | | | | | | | | |
| ४९. | अद्यावधिक बेरुजू स्थिति : नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी बेरुजू स्थिति देहाय अनुसार रहेको छ : : (रु.हजारमा) | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>गत वर्षसम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी C</th> <th>यो वर्षको सं. प.बाट कायम बेरुजू (D)</th> <th>यो वर्षको कायम बेरुजू (E)</th> <th>बाँकी (F=C+D+E)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>३८५६</td> <td>०</td> <td>८९८९</td> <td>१२८४५</td> </tr> </tbody> </table> | गत वर्षसम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी C | यो वर्षको सं. प.बाट कायम बेरुजू (D) | यो वर्षको कायम बेरुजू (E) | बाँकी (F=C+D+E) | ३८५६ | ० | ८९८९ | १२८४५ | |
| गत वर्षसम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी C | यो वर्षको सं. प.बाट कायम बेरुजू (D) | यो वर्षको कायम बेरुजू (E) | बाँकी (F=C+D+E) | | | | | | | |
| ३८५६ | ० | ८९८९ | १२८४५ | | | | | | | |

अनुसूची- १

भेरी नगरपालिकाको बेरुजू वर्गीकरण (विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबार)
२०७४/७५

(रु.हजारमा)

| सि. नं. | जिल्ला | स्थानीय तहको नाम | प्रारम्भिक बेरुजू | | | प्रतिक्रियाबाट फछ्यौट | | | बाँकी बेरुजू | | | अशुल गर्नुपर्ने | बाँकी बेरुजू | | | | | | | |
|---------|---------|------------------|-------------------|------|-------|-----------------------|------|-------|--------------|------|------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|----------|------|-------|
| | | | दफा संख्या | | रकम | दफा संख्या | | रकम | दफा संख्या | | रकम | | नियमित गर्नुपर्ने | | | | | पेशकी | | |
| | | | सैदान्तिक | लगती | | सैदान्तिक | लगती | | सैदान्तिक | लगती | | | अनियमित भएको | प्रमाण कागजात पेश नभएको | राजश्व लगत जिम्मेवारी नसारेको | सोधभर्ना नलिएको | जम्मा | कर्मचारी | अन्य | जम्मा |
| १. | जाजरकोट | भेरी नगरपालिका | ४० | २० | ३१८४३ | ० | १० | २२८५४ | ४० | १० | ८९८९ | ४६०५ | ११७५ | ० | ० | ० | ५७८० | ० | ३२०९ | ३२०९ |

अनुसूची- २

स्थानीय तह सञ्चित कोष विवरण
२०७४।७५

प्रदेश नम्बर :- कर्णाली प्रदेश

(रु.हजारमा)

| क्र. सं. | स्थानीय तह | जिल्ला | आय | | | | जम्मा आय | व्यय | | | | मौज्दात |
|----------|----------------|---------|----------------------|-----------------|----------------------------|---------|----------|-----------|--------------|-----------|------------|---------|
| | | | गत वर्षको जिम्मेवारी | समानीकरण अनुदान | सशर्त तथा अन्य बजेट अनुदान | अन्य आय | | चालु खर्च | पूँजीगत खर्च | अन्य खर्च | जम्मा खर्च | |
| | | | १ | २ | ३ | ४ | | ५ | ६ | ७ | ८ | |
| १. | भेरी नगरपालिका | जाजरकोट | २६४८८ | २५८५६६ | २४९७०२ | ८१६५ | ५१६४३३ | २७४९५९ | २२०७१६ | ० | ४९५६७५ | ४७२४६ |